

# बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना

१९९८

परीक्षा का वर्ष

कॉलेज द्वारा दी जानेवाली

परीक्षार्थियों की सूची का क्रमांक

रसीद संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

के द्वारा \_\_\_\_\_

रुपये पासा \_\_\_\_\_

तिथि \_\_\_\_\_

रोकड़पाल \_\_\_\_\_



३ स्थायित्वा पाठ्य

कॉलेजिएट

नन कॉलेजिएट

स्वतंत्र

(अनपेक्षित अंश काट दें)

छात्र/छात्रा

## इन्टरमीडिएट कला की परीक्षा

परीक्षा-नियंत्रक के पास निर्धारित तिथि तक यह आवेदन-पत्र अवश्य ही पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं होंगे।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,

बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना

महोदय,

बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा मायोजित सन् १९८ \_\_\_\_\_ की इन्टरमीडिएट कला की परीक्षा में बैठने की अनुमति का प्रार्थी हूँ। परीक्षा शुल्क के पचास रुपये अंक पत्र के सात रुपये तथा लोकल टेली के दस रुपये, कुल साड़सठ रुपये जमा किये/भेजे जा रहे हैं।  
पूरा पता

बैंक ड्राफ्ट अथवा  
पोस्टल बांडर से  
ही शुल्क भेजें।

जिस नाम से सूचीकृत  
हुए हैं वहीं नाम लिखें।  
महिलायें अपने नाम के  
पहले कुमारी अथवा  
श्रीमति जो भी हों  
अवश्य लिखें।

तिथि \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

(प्रधान/चार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत)

(किसी अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करें)

परीक्षार्थी निम्नलिखित विवरण दें

1. सूचीकरण संख्या \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_
2. नाम (साफ-साफ देवनागरी अक्षरों में) \_\_\_\_\_
3. Full Name in English (in Block capitals) \_\_\_\_\_
4. जन्म तिथि \_\_\_\_\_
5. पिता का नाम और पता \_\_\_\_\_  
अभिभावक का नाम और पता \_\_\_\_\_
6. कॉलेज का नाम \_\_\_\_\_ वर्ग क्रम संख्या \_\_\_\_\_  
लेक्चर पूरे होने का वर्ष \_\_\_\_\_
7. परीक्षा के विषय \_\_\_\_\_ विषयों के नाम \_\_\_\_\_

अनिवार्य विषय (क्रम १ में मोटी लकीर के उपर वर्चवा नीचे जो भी आप पर लागू न हो काट दें)	1. राष्ट्रभाषा हिन्दी (100 अंक) (क) राष्ट्रभाषा अहिन्दी भाषी (50 अंक) (ल) मातृभाषा केवल अहिन्दी भाषियों के लिए 50 अंक) 2. भाषा एवं साहित्य	हिन्दी अवर स्टैंडर्ड । हिन्दी लोवर स्टैंडर्ड ।
वैकल्पिक विषय विनियम रेयुलेशन 5 (C) के अनुसार	1. 2. 3.	
अतिरिक्त विषय		

8. प्रश्नों के उत्तर किस भाषा में देंगे ?
9. माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण :  
माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक बोर्ड का नाम \_\_\_\_\_ नामांक \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ वार्षिक/पूरक
10. यदि इन्टरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान वाणिज्य) में उत्तीर्ण/बनुतीर्ण हुए हों तो उसका विवरण  
केन्द्र नामांक वर्ष वार्षिक/पूरक
11. इन्टरमीडिएट परीक्षा में स्वतंत्र इप से सम्मिलित होने की अनुमति पत्र की संख्या एवं तिथि :
12. इस सञ्च में क्या आप किसी कॉलेज के नियमित छात्र/छात्रा रहे/रहीं हैं या नहीं ?

यदि आप किसी अनुसूचित जाति या वर्ग के हों तो अपनी जाति अथवा वर्ग का खास नाम लिखें और दो परीक्षा प्रपत्र भरें

अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग जाति  
का खास नाम \_\_\_\_\_

(अनपेक्षित अंश काट दें)

तिथि \_\_\_\_\_

प्रेपक अधिकारी का हस्ताक्षर

एवं मुहर

फोटो ( Photo )

हर एक परीक्षार्थी को हाल ही में ली दृष्टि अपनी फोटो की पासपोर्ट साझा की दो प्रतियाँ देनी होती है। उनके ऊपर परीक्षार्थी का नाम लिखा होता चाहिए और उनके प्रेपक अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुहर के साथ प्रमाणित होना चाहिए। एक फोटो प्रवेश-पत्र पर और दूसरी इसी ओरोरी स्पान में चिपकाई जानी चाहिए।

(1) यह अनुरोध किया जाता है कि प्रेपक अधिकारी इस बात की सावधानी के साथ देख ले कि परीक्षार्थी ने अपना नाम इस आवेदन-पत्र में ठीक उसी तरह लखा है जैसे उनके मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक परीक्षा के ब्रमण-पत्र और परिषद् के मूल्यकरण प्रमाण-पत्र में अंकित है।

(2) वे कृपया वह भी देख लें कि परीक्षार्थी ने अपनी मूलीक एवं संख्या और अनुमति पत्र संख्या ( जहाँ अवश्य हो ) ठीक-ठीक लिखा है।

प्रसान-पत्र ( Certificate )

कॉलेज के नियमित ( कॉलेजिएट ) छात्रों के लिए

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित करके मुझे परिचुष्ट कर दिया है कि वे की माध्यमिक परीक्षा या परिषद् द्वारा उसको समकक्ष उत्तीर्ण हो गये हैं तथा उन्होंने एक या अधिक सम्बद्ध कालेजों में नियमित रूप से अध्ययन कर आई० ए० की परीक्षा के लिये निर्वाचित उत्तीर्ण प्रयोगी पाठ्यक्रम को पुरा कर लिया है और जहाँ प्रायोगिक ( प्रेक्टिकल ) परीक्षा का विषयात है वहाँ अपने सारे अध्ययन काल में निर्वाचित प्रयोगी को भी सुयोग निदेशन में समुचित रूप से सम्पन्न किया है। इनका आचरण अच्छा रहा है। इन्होंने नियमित रूप से अध्ययन किया है तथा ये मियमों [ रेगुलेशनों ] में निर्दिष्ट कॉलेज की आवधिक [ पीरिओडिकल ] तथा अन्य परीक्षार्थी में बन्मिलित हुए हैं और इनमें उत्तीर्ण हुए हैं तथा इन्होंने जिन विषयों का उल्लेख किया है उन्हें जिकर इस परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं तथा इन्होंने जिन विषयों में व्याख्यानों, अभ्यास तथा प्रयोग कक्षाओं ( ट्यूटोरियलों और प्रेक्टिकल क्लासों ) की निर्वाचित उपस्थिति संख्या इन्होंने जिन विषयों में व्याख्यानों, अभ्यास तथा प्रयोग कक्षाओं ( ट्यूटोरियलों और प्रेक्टिकल क्लासों ) की निर्वाचित उपस्थिति संख्या पूरी कर ली हैं तथा इन्होंने हम आवेदन-पत्र पर मेरे सामने अवधार मेरे द्वारा इसके लिए अधिकृत व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया है तथा इन्होंने इस आवेदन-पत्र में जो विवरण दिया है, वे ठीक हैं।

विद्यालय/स्कूल परीक्षा:

बोर्ड

परीक्षा में

प्रधानाचार्य

कॉलेज (मुहर)

कॉलेज के पूर्ववर्ती ( नॉन कॉलेजियट ) छात्रों के लिये

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने द्वारा प्रदत्त-प्रमाण-पत्र उपस्थित कर मुझे परिचुष्ट कर दिया है कि वे परीक्षा या परिषद् द्वारा मान्य इनकी समकक्ष नियमों ( रेगुलेशनों ) के अनुसार ये इन्टरमेडिएट ऑफ ऑर्ट्स की परीक्षा में कॉलेज के पूर्ववर्ती ( नॉन-कॉलेजियट ) छात्र के रूप में उपलब्ध के अधिकारी हैं। मैं इनके नैतिक चरित्र के विशद् कुछ नहीं जानता। इन्होंने इस आवेदन-पत्र पर मेरे सामने अवधार मेरे द्वारा इसके लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया है और मुझे विश्वास है कि इन्होंने इस आवेदन-पत्र में जो विवरण दिये हैं ठीक हैं।

१६८

स्कूल परीक्षा बोर्ड

बोर्ड की माध्यमिक

परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं तथा

नियमित व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया है तथा

प्रधानाचार्य की परीक्षे में इनका केंद्र

नामांक

प्रधानाचार्य

कॉलेज मुहर

स्वतंत्र ( प्राइवेट ) परीक्षार्थियों के लिये

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपस्थित कर मुझे परिचुष्ट कर दिया है कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं एवं इन्होंने परिषद् कार्यालय के उन पत्र की मूलभूती भी मुझे दिखाई है जिसके द्वारा इन्हें १६८ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं एवं इन्होंने परिषद् कार्यालय के सम्मिलित होने की अनुमति मिली है तथा इन्होंने स्कूल/कॉलेज छोड़ने के प्रमाण पत्र की मूलप्रति अवधार परिषद् द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिभित्रि दिखाकर मुझे परिचुष्ट कर दिया है कि वे उत्तर्युक्त परीक्षा के सत्र ( एकेडेमिक सेसन ) नियमित द्वात्र नहीं हैं एवं इन्होंने स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए व्यायोजित टेस्ट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैं इनके नैतिक चरित्र के विशद् कुछ नहीं जानता। इन्होंने इस आवेदन-पत्र पर मेरे सामने अवधार मेरे द्वारा इसकी लिये अधिकृत व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया है और इन्होंने अवधारसाय पूर्वक और नियमित रूप से अध्यवत किया है तथा इस आवेदन पत्र में जो विवरण दिये हैं वे ठीक हैं।

परिषद् के अनुमति पत्र की तिथि एवं संख्या

प्रधानाचार्य

कॉलेज मुहर


तिथि

# बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना



परीक्षा का वर्ष \_\_\_\_\_ आई० ए०

फोटो (Photo)



## प्रवेश-पत्र

नीचे का विवरण परीक्षार्थी स्वयं भरें :—

1. पूचीकरण संख्या \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_
2. हिन्दी अक्षरों में नाम \_\_\_\_\_
3. रोमन (छापे के) अक्षरों में नाम \_\_\_\_\_
4. जन्म तिथि \_\_\_\_\_
5. पिता का नाम \_\_\_\_\_

5. परीक्षा के विषय :— (1) अनिवार्य विषय

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

(2) बेकलिंग विषय

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Date.....198.....Signature

(3) अविरिक्त विषय

इच्छानाचार्य अबबा उनके द्वारा मनोनीत किसी  
व्यक्ति के सामने हो इस्ताब्दर होना चाहिए।

परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर

(नीचे के विवरण परिषद् में भरे जाएंगे) तिथि \_\_\_\_\_

इस परीक्षार्थी का केन्द्र \_\_\_\_\_ नामांक \_\_\_\_\_ है। इन्हें तिथि \_\_\_\_\_ से  
कॉलेज केन्द्र से आई० ए० की परीक्षा में सम्मिलित होने हैं।

परीक्षा विभाग  
का सहायक

प्रशासा पदाधिकारी  
परीक्षा विभाग

परीक्षा नियंत्रक

1. कार्यालय में परीक्षाफल प्रकाशित होते ही परीक्षार्थी को उसके परीक्षाफल की सुचना सार या ढाक द्वारा भेजी जा सकती है, यदि  
इसके लिए पहले से ही निर्धारित शुल्क जमा कर दिया जाय।
2. इस प्रवेश पत्र के द्वारा जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर इसको ब्रतिलिपि (Duplicate) प्राप्त करने के लिए शब्दान्वाचार्य के  
द्वारा 5/- रुपये के साथ परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन-पत्र भेजना चाहिए।
3. परीक्षाफल प्रकाशन के साधारणतः दस दिनों के भीतर ही अंक-पत्र कॉलेज में भेज दिये जाते हैं, परीक्षार्थी उन्हें अपने-अपने  
महाविद्यालय से ले, लें योंकि परिषद् के कार्यालय से परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि के बाद एक महीने तक अंक पत्र नहीं दिया  
जायगा। इस अवधि के बाद परिषद् से निर्धारित शुल्क देकर अंक-पत्र लिया जा सकता है।
4. विषयानुसार अंक-पत्र का शुल्क पाँच रुपये हैं और पत्रानुसार अंक-पत्र का शुल्क सात रुपये हैं।
5. परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र तैयार होते ही कॉलेज में भेज दिया जाता है। इस बीच में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षार्थी  
एक अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) ले सकते हैं। इसके लिए आवदन-पत्र प्राप्तानाचार्य द्वारा अप्रसारित  
कराकर 10/- (दस रुपये) निर्धारित शुल्क के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करें।

- परीक्षाएं निश्चित तिथियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी —
2. परीक्षा-कक्षों के द्वार परीक्षा के पहले दिन प्रथम-पत्र की परीक्षा आरम्भ होने के लगभग आधा घंटा पहले खोले जायेंगे। उसके बाद कक्षों के द्वार प्रत्येक पत्र की परीक्षा आरम्भ होने के १५ मिनट पहले खोले जायेंगे। परीक्षा आरम्भ होने के पांच मिनट पहले परीक्षार्थी निश्चित हय से कक्ष में आकर अपना निर्धारिय स्थान गृहण कर लेंगे। परीक्षा आरम्भ होने के निर्धारित समय से अधिकतर आधे घंटे तक विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। आधे घंटे से अधिक विलम्ब से आने पर ऐसी अनुमति नहीं दी जायगी।
  3. परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के अन्दर न तो परीक्षार्थी को कक्ष के ते बाहर जाने और न उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को लौटाने की अनुमति दी जायगी।
  4. परीक्षा के समाप्त हो जाते ही अथवा लिखना समाप्त करने पर परीक्षार्थी को अपनी उत्तर-पुस्तिका कक्ष के प्रधान वीक्षक को दे देनी होगी। किसी भी दशा में उत्तर-पुस्तिका डेस्ट पर न छोड़ी जाय और न परीक्षा भवन से बाहर ले जायी जाय।
  5. जो उत्तर-पुस्तिका वीक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायगी।
  6. प्रत्येक, परीक्षार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा, जिसपर उनके प्रवेश पत्र में अंकित संख्या लिखी रहेगी। परीक्षार्थी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है।
  7. जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हुए या दूसरे की सहायता करते या किसी प्रकार की अवैध सहायता लेने की चेष्टा करते हुए अथवा परीक्षा में अनुचित लाभ के लिए कोई दूसरा अवैध उपाय करते पायें जायेंगे, उन्हें परीक्षा से निस्कासित कर दिया जायगा तथा आगे होने वाले पत्रों/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने से बंचित कर दिया जायगा। परीक्षा में परीक्षाधियों को परस्पर किसी प्रकार से विचार विनियम का अधिकार न होगा। जबतक कि वे परीक्षा कक्ष में रहें उन्हें अपने पास छाता, पुस्तक, किसी प्रकार का स्मृति-पत्र पाकेट बुक आदि या कोई अतिरिक्त कागज-पत्र रखना वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।
  8. जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा से निस्कासित किया जायगा तो उनके लिए अनिवार्य होगा कि वह उत्तर-पुस्तिका, प्रश्न-पत्र और वैसी सभी सामग्रियां को जो अवैध साधन अपनाये जाने से सबविध हैं केन्द्र वीक्षक को समर्पित कर दें।
  9. उत्तर लिखना आरम्भ करने के पहले प्रत्येक परीक्षार्थी के किए अपनी उत्तर-पुस्तिका के अवधरण पृष्ठ पर अपना केन्द्र और नामांक सूचीकरण संख्या लिखना अनिवार्य है। परन्तु परीक्षार्थी को अपना अथवा अपने कालेज का नाम कदापि नहीं लिखना चाहिए। परीक्षार्थी की चेतावनी दी जाती है कि जिस उत्तर-पुस्तिका पर केन्द्र, नामांक और सूचीकरण संख्या स्पष्ट रूप से न लिखी होगी उसे जाँचा नहीं जायेगा।
  10. जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका की पहचान न हो असम्भव या दुःसाध्य बनाने की चेष्टा करेगा उसकी सम्बन्धित उत्तर-पुस्तिका की जाँच नहीं जायगी।
  11. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी पुस्तिका में कोई आपत्तिजनक या अनुचित बात लिखने का अपराधी पाया जायगा तो उसकी सूचना केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा-नियंत्रक को उचित कार्रवाई के लिये भेज दी जायगी।
  12. उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र, प्रवेश-पत्र या किसी अन्य कागज पर उत्तर या कोई दूसरी बात लिखना वर्जित है।
  13. परीक्षा-कक्ष से प्रश्न-पत्र और अपने प्रवेश-पत्र के सिवा अन्य कागज-पत्र बाहर ले जाना परीक्षाधियों के लिए वर्जित है।
  14. परीक्षा-कक्ष के प्रधान वीक्षक के आदेश पर परीक्षार्थीयों के लिये उपस्थित-पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
  15. परीक्षार्थीयों को चाहिए कि वे उत्तर-पुस्तिका के दोनों पृष्ठों पर लिखें, यदि वे चाहें तो आरम्भ या अन्त में एक दो पृष्ठ रफ वकं के लिये प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु उत्तर-पुस्तिका को सौंपने के पहले उन पृष्ठों की लिखावट को काट दें।
  16. प्रधान वीक्षक की अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा।
  17. अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ने पर परीक्षार्थी कक्ष वीक्षक की अनुमति से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु जब वह बाहर है, उसकी निगरानी के लिए कक्ष वीक्षक द्वारा एक विश्वस्त व्यक्ति तेनात रहेगा। साथ ही उनकी आकस्मिक अनुपस्थिति के लिए बाहर जाने और बाहर से लौटने का समय वीक्षकों द्वारा एक अलग कागज पर अंकित किया जायगा जिसे वे केन्द्राधीक्षक को समर्पित करेंगे।
  18. ऐसे परीक्षार्थी कोजो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों जिसके कारण उसकी उपस्थिति में अन्य परीक्षार्थी के लिये हानि हो सकती है परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायगा तथा यदि वहाँ पाया जायगा तो उसे वहाँ से हटा दिया जायगा परन्तु केन्द्र व्यवस्थापक एक बालग कमरे में उनकी परीक्षा लेने का प्रबंध कर सकते हैं।